

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के बोरी अभ्यारण्य से वन ग्राह सांकई टोला-II को होशंगाबाद वन मंडल के परिक्षेत्र इटारसी के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 141 एवं 142 के 150.00 हेक्टेयर वन भूमि में विस्थापित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि: 16.01.2017

स्थान: भोपाल


(सुनील अग्रवाल)

भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल